कार्यालय, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

आदेश सं0 / सम्बद्धता / 200 / 2017–18 दिनांक: 2 | जून 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 867 / 15–11–2017 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 30.05.2017 द्वारा निजी संस्थान **बाबू रामपाल सिंह महाविद्यालय प्लाट नं0–17, 14 भरतावाला ठाकुरद्वारा जिला– मुरादाबाद** को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2016–17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017–18 से एक यूनिट (50 सीट)** की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब–साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.10.2016 एवं 25.10.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति तथा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 276 / 2012 माँ वैष्णों महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा आई0ए0–9 / 2016 में पारित माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2016 के आलोक में लिए गये निर्णय के आधार पर डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु **शैक्षिक सत्र 2016–17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017–18 से एक यूनिट (50 सीट)** की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

डॉ0(श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पृ0सं0 / सम्बद्धता / 4071-78 / 2017–18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा,उत्तर प्रदेश,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन, शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि–II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर–302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मुरादाबाद।
7. प्रबन्धक / सचिव, बाबू रामपाल सिंह महाविद्यालय प्लाट नं0–17, 14 भरतावाला ठाकुरद्वारा जिला–मुरादाबाद।
8. गार्ड फाइल।

डॉ0(श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

Principal
Babu Rampal Singh Mahavidyalaya
THAKURDWARA (Moradabad)

प्रेषक,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्रधिकारी,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव
बाबू रामपाल सिंह महाविद्यालय
भरतावाला ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

पत्रांकः निजी बीटीसी / अनु0–1881/4823-26 / 2015–16 दिनांक 29 फरवरी 2016

विषय–निजी बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रहित पत्र दिनांक 26.02.2016 के सन्दर्भ में एन0सी0टी0ई0 नियमावली 2014 के अनुसार अतिरिक्त संकाय सदस्य बढ़ाने पर निजी बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यो का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

01	सतीश चन्द्र	पिछड़ी जाति	विभागाध्यक्ष
02	अमरेन्द्र सिंह	सामान्य	प्रवक्ता विज्ञान
03	अनिल कुमार		प्रवक्ता सा0 विज्ञान
04	प्रतिभा		प्रवक्ता शिक्षा के आधार
05	प्रदीप कुमार		प्रवक्ता गणित
06	राधे श्याम		प्रवक्ता भाषा
07	मधु	पिछड़ी जाति	प्रवक्ता कला
08	भूपेन्द्र सिंह	अनु0 जाति	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा

अनुमोदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करा कर सत्यापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 28.2.16

पृ0सं0ः निजी. बीटीसी / अनु0 1881 / 4823-26 / 2015–16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि–II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर,–302005 (राजस्थान)।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुरादाबाद।

29.2

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Principal
Babu Rampal Singh Mahavidhyalaya
THAKURDWARA Moradabad